

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

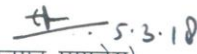
जनपद मथुरा में गोवर्धन-बरसाना मार्ग की दौई पटरी पर कि०मी०-19 में (चैनेज सं०-18.673) पर स्थित खसरा सं०-219, ग्राम-बरसाना, तहसील-गोवर्धन, जिला-मथुरा में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059033 है० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. – 27031/2017

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें –	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 5.3.18

स्थान : आगरा।


 (रमेश कुमार पाण्डेय)
 वन संरक्षक,
 आगरा जिला, उत्तर प्रदेश।

